न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर (पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर 235103004222016</u> दांडिक प्रकरण क.-490 / 16 संस्थापित दिनांक-18.11.16

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :-आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।अभियोजन

विरुद्ध

01-सुमेर आदिवासी पुत्र नत्थू आदिवासी उम्र 26 साल निवासी ग्राम खजरा थाना खनियाधाना जिला शिवपुरी म०प्र०।

02–कल्याण आदिवासी पुत्र रामलाल आदिवासी उम्र 35 साल निवासी ग्राम आगरा पोस्ट मलावनी थाना पिछोर जिला शिवपुरी।

.....आरोपीण्गण

राज्य द्वारा :- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।

आरोपीगण द्वारा :- श्री परमार अधिवक्ता।

-: <u>निर्णय</u> :-

(आज दिनांक 03.05.2017 को घोषित)

आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध यह 01-अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 429, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3 / 181, 146 / 196, 5 / 180 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है। 0203— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपीगण का फरियादी एवं आहत से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपी सुमेर को भादिव की धारा 429, 337—दो बार के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय आरोपी सुमेर के संबंध में मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 एवं आरोपी कल्याण के संबंध में मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी गणेशराम ने दिनांक 23.10.16 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को वह शाम करीब 6 बजे हसारी मोड तिराहे के पास रोड किनारे उसकी सफेद रंग की गाय उम्र करीब 3 वर्ष की खड़ी थी तभी बामौरकला तरफ से एक मोटरसाईकिल पर तीन व्यक्ति बैठे हुए आए और मोटरसाईकिल चालक ने वाहन को काफी तेजी से चलाकर उसकी गाय में टक्कर मार दी जिससे गाय की मौके पर ही मौत हो गई एवं मोटरसाईकिल वाले भी रोड किनारे गिर गए। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 503/16 के अंतर्गत भादवि की धारा 429, 337 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपी सुमेर के विरुद्ध भादिव की धारा 429, 337—दो बार एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 एवं आरोपी कल्याण के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया। आरोपीगण ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

06- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

1. क्या आरोपी सुमेर ने दिनांक 23.10.16 को समय 18.00 बजे चंदेरी पिछोर रोड हसारी मोड के पास, ग्राम हसारी चंदेरी पर मोटरसाईकिल को बिना लायसेंस प्राप्त किए सार्वजनिक मार्ग पर चालन किया ?

- 2. क्या आरोपी सुमेर ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना बीमा प्राप्त किए सार्वजनिक मार्ग पर चालन किया ?
- 3. क्या आरोपी कल्याण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर वाहन मोटरसाईकिल एमपी 33 एमके 7492 के पंजीकृत स्वामी होते हुए बिना लायसेंस धारक व्यक्ति सुमेर आदिवासी को यान चलाने की अनुज्ञा दी थी ?

<u>—:: सकारण निष्कर्ष ::–</u>

07— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्विलत है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 गणेशराम, अ.सा. 02 राजू, अ.सा. 03 विशाल एवं अ.सा. 04 हरीसिंह तोमर की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 गनेशराम ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को वे लोग मोटरसाईकिल जा रहे थे और तब सुमेर की मोटरसाईकिल गाय से टकरा गई थी जिससे वे लोग गिर गए थे। उक्त साक्षी के अनुसार उन्होंने उक्त घटना के संबंध में थाने पर फोन किया था और घटना की रिपोर्ट प्रपी 01 लेखबद्ध कराई थी। अ.सा. 02 राजू एवं अ.सा. 03 विशाल ने भी अ.सा. 01 के अनुसार ही कथन किया है। उक्त साक्षीगण ने अपने कथनों में ये नहीं बताया है कि आरोपी सुमेर घटना दिनांक को बिना लायसेंस एवं बिना बीमा प्राप्त किए वाहन को चला रहा था। अ.सा. 04 हरिसिंह तोमर ने अपने कथन में बताया है कि उसके द्वारा प्रकरण में नक्शामौका प्रपी 02 तैयार किया गया था तथा उसने साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए थे। उक्त साक्षी के अनुसार उसने आरोपी से प्रपी 06 के अनुसार मोटरसाईकिल जप्त की थी। उक्त साक्षी ने अपने कथनों में यह नहीं बताया है कि उसने आरोपी से जप्तशुदा मोटरसाईकिल का बीमा एवं लायसेंस मांगा था। उक्त साक्षी ने अपने कथनों में यह भी नहीं बताया है कि उसने अपनी विवेचना के दौरान आरोपी के पास ड्रायविंग लायसेंस एवं जप्तशुदा वाहन का बीमा नहीं पाया था।

09— अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा जप्तशुदा वाहन को बिना बीमा एवं बिना लायसेंस के चालित किया गया। उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी सुमेर को मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 एवं आरोपी कल्याण को मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

11— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटरसाईकिल एमपी 33 एमके 7492 पूर्व से सुपुर्दगी पर है। अतः उक्त सुपुर्दनामा निरस्त समझा जावे।

12— आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)